(रजिस्टर्ड)

न्यायालय में, श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

नि/2801/प्रा/15

रामकुशल तिवारी पिता श्री राजबल्लभ तिवारी,
निवासी ग्राम अठिया, तहसील जैतपुर,
जिला- शहडोल (म0प्र0) ———————————— आवेदक

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन — ——— अनावेदक

निगरानी, विरुद्ध निर्णय आयुक्त महोदय शहडोल,
संभाग शहडोल, रा0प्र0क्र0 1533/ अपील/2008-09
आदेश दिनांक- 16. 12. 2013

क्रमांक 6597
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... प्राप्त
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

कार्यालय कलेक्टर शहडोल(म.प्र.)
1 AUG 2015
अधीक्षक कलेक्टर

8
19.8.2015

मान्यवर,

आवेदक निम्नलिखित कारणों से निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन गलत है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया हैकि, अपीलाण्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे सभीप्रकरण में न्यायिक निराकरण के लिये आवश्यक हैं ।

3. यहकि, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अपीलाण्ट को बहुत तलाश के बाद प्राप्त हुये हैं इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था, लेकिन जैसे ही अपी0को दस्तावेजप्राप्त हुये हैं अन्तर्गत न्यायालय में आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करदियाहै। अधीनस्थ न्यायालय कोप्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को स्वीकार करके, दस्तावेजों के आधार पर निराकरण करनाचाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारणसे आवेदक के आवेदनपत्र को निरस्त करने कीकानूनीभूल कीहै ।

4. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय को अपील स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य...

रामकुशल तिवारी

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

——— रामकुशल तिवारी / शासन

प्रकरण कमांक निग0 2801–तीन/15 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त, शहडोल के प्रकरण कमांक अपील/1533/2008–09 आदेश दिनांक 16–12–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्रह्यता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इससे स्पष्ट है कि आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल न्यायालय में आवेदक द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी । जहां पर उसने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये आवेदन दिया । जो प्रकरण के निराकरण के लिये आवश्यक थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी आवेदन निरस्त कर दिया । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिये यह दस्तावेज अत्यन्त आवश्यक हैं तथा प्रथम अपील के समय दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सका था । बाद में दस्तावेज उपलब्ध होने पर द्वितीय अपील के समय दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है । आवेदक को वांछित दस्तावेज कब किस प्रकार उपलब्ध हुए इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच एवं विचार नहीं किया है । सामान्यतः द्वितीय अपील में किसी प्रकार के नए साक्ष्य दस्तावेज ग्रहण करना आवश्यक नहीं है । परन्तु फिर भी यदि दस्तावेजों से प्रकरण के गुणदोषों पर	

R 2801-III/15 अनूपपुर

प्रभाव होना प्रकट होता है तो उन पर विचार किया जा सकता है । अतः निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्क से सहमत होते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी आवेदन पत्र पर एक बार पुनः विचार कर तथा आवेदक को उक्त दस्तावेज कब प्राप्त हुए इस संबंध में उसे सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान कर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

सदस्य